

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्री सुरेश गंझू पिता- स्व. महावीर गंझू 2) श्री कैलाश गंझू पिता- स्व. खेमलाल गंझू 3) श्री अनार गंझू पिता- श्री तुलू गंझू, ग्राम- कुण्डी, थाना- टंडवा, जिला- चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- कुण्डी, थाना सं.-27; देवलगड़ा, थाना सं.-28; एवं सराढु थाना सं.-29, थाना- टंडवा जिला- चतरा (झारखण्ड) ग्राम- कुण्डी (रैयती भूमि) खाता सं.14 के अधीन प्लॉट स.-213 ; खाता सं.34 के अधीन प्लॉट स.-342, ग्राम- देवलगड़ा खाता सं.26 के अधीन प्लॉट स.- 185, 203, 214, 216, 224, 244,, GMJJ खाता सं.27 के अधीन प्लॉट स.-240; ग्राम- सराढु खाता सं.275 के अधीन प्लॉट स.-565, 522, 703; खाता सं.274 के अधीन प्लॉट स.-702 कुल रकबा - 06.00 एकड़ (i.e. 1.80 एकड़ GMJJ, 4.20 एकड़ रैयती भूमि) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

११
विश्वामाह
१४/१२/२०२२